

तारीख
हुक्म


६१९
५५
२०१८

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गीमकाथाना
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
सरकार v/s हजारियी
2018/00037

जो इस हुक्म
तामील में जा

22/4/25

परावली पेश हुई। वकील बारीगठा
द्वारा आवेदन-पत्र मिलल ललकी के साथ
बिही करने ठेक पेश किया। वकील बारीगठ
को बुना गया। परावली का अवलीकरण किया
गया। प्रकठण बसूली ठेक पेश किया गया
था जिसने राशि जमा होने के कारण प्रकठण
को आगे चलाने का औचित्य शैय नहीं है।
अतः वकील बारीगठा का दावा शायदित
में इस स्तर पर शैय किया जाता है।
परावली केवल फुकर हीकर मबर के
अन दोर दाखिल परत है।
निधि में इजलास बुनाया गया।


राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
गीमकाथाना (सीकर)